पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2009 ई० (ज्येष्ठ 09, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	185–186	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	209–211	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	15–16	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

अधिसूचना

20 मई, 2009 ई०

संख्या 614/X–3–2009–13(37)/2006–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का०आ० 2244(अ), दिनांक 22 सितम्बर, 2008 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (State Level Expert Appraisal Committee) का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना के प्रस्तर–8 तथा प्रस्तर–10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थाई व्यवस्था होने तक क्रमशः राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (State Level Expert Appraisal Committee) के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 22 हिन्दी गजट/244–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2009 ई० (ज्येष्ठ 09, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 18, 2009

No. 80/UHC/XIV/49/Admin. A--Sri C.P. Bijalwan, Addl. District Judge/1st F.T.C., Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned medical leave for 25 days w.e.f. 16.04.2009 to 10.05.2009.

May 18, 2009

No. 81/UHC/XIV/38/Admin. A--Sri Ramesh Chandra Khulbe, Presiding Officer, Labour Court, Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 02.01.2009 to 07.01.2009 with permission to prefix 25.12.2008 to 31.12.2008 as Christmas & Winter holidays, 01.01.2009 as New Year day and to suffix 08.01.2009 as Moharram holiday.

May 18, 2009

No. 82/UHC/XIV/74/Admin. A--Sri Bharat Bhushan Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 27.04.2009 to 08.05.2009 with permission to prefix 26.04.2009 as Sunday and to suffix 09.05.2009 and 10.05.2009 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

May 21, 2009

No. 84/UHC/Admin.A/2009--In exercise of powers conferred U/S 11(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, Sri Rakesh Kumar Singh, 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar is conferred with the powers of Judicial Magistrate Ist Class.

By Order of the Court,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,

Registrar General.

कार्यालय, आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

20 मई, 2009 ई0

पत्रांक 638 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2009–10 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की सीरीज / क्रमांक
1	सर्वश्री रेवती प्रिन्ट एण्ड पैक, प्लाट न0 37, सेक्टर–2, II-E, रानीपुर, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A2007-2016588

वी0के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

22 मई, 2009 ई0

पत्रांक 730 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 09–10 / केन्द्रीय फार्म–सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की सीरीज / क्रमांक
1	सर्वश्री वैराक इन्जीनियरिंग प्रा0लि0, प्लाट न0–20, सेक्टर–9, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	फार्म–सी–01 (एक)	UK-VAT–C-2007-278150

एल0एम0 पन्त,
आयुक्त, कर,
उत्तराखण्ड।

22 मई, 2009 ई0

पत्रांक 731 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2009–10 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप XVI) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1	सर्वश्री बंसल हाई–कैम प्रा०लि० रोटी राईस एण्ड जनरल मिल्स कम्पाउण्ड, बाजपुर रोड, काशीपुर	आयात घोषणा पत्र (प्रारूप–XVI)–01	UK-VAT--A2007-753038
2	सर्वश्री लक्सुरिया इण्डस्ट्रीज बी–4(ई) इण्डस्टेट, रुड़की	आयात घोषणा पत्र (प्रारूप–XVI)–01	UK-VAT--A2007-2327157

वी०के० सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 22 हिन्दी गजट/244–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

रजिस्ट्रेशन संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2009 ई० (ज्येष्ठ 09, 1931 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, मंगलौर, जिला–हरिद्वार

विज्ञप्ति

22 नवम्बर, 2008 ई०

विज्ञप्ति संख्या–814/06–प्र०लि०–स्टाम्प शुल्क/2008–09–नगर पालिका परिषद्, मंगलौर, जिला हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत समस्त जनता को जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, या पड़ेगा, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद्, मंगलौर, जिला हरिद्वार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) एवं धारा 131 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 299 के अधीन अचल सम्पत्ति हस्तानान्तरण लेखाकार उपविधि लागू करने हेतु बनायी है। उक्त उपविधि को लागू करने के लिये सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित की गयी थी, परन्तु निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उक्त उपविधि हेतु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुई है। पालिका बोर्ड ने अपने विशेष संकल्प संख्या–3, दिनांक 22–01–2009 के द्वारा नगर पालिका परिषद्, मंगलौर, जिला हरिद्वार की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण विलेखों पर कर लागू करने हेतु नियमावली की पुष्टि करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 301 (1) के अनुसार एतद्द्वारा उक्त उपविधि को लागू किये जाने हेतु सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की स्वीकृति दी है, जो गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी।

"सम्पत्ति हस्तानान्तरण लेखाकार नियमावली"

1–परिभाषा–

(1) नगर पालिका परिषद् से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, मंगलौर, जिला हरिद्वार से है।

(2) अचल सम्पत्ति हस्तानान्तरण लेखाकार से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 (1) की उपधारा 13(ख) के अन्तर्गत आरोपित होने वाले कर से है।

(3) उप निबन्धक से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी से है।

2–यह नियमावली नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा में अचल सम्पत्ति हस्तानान्तरण लेखाकार नियमावली, वर्ष 2008 कहलायेगी तथा नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा में प्रभावित होगी।

3–नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा के अन्तर्गत किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तानान्तरण लेखाकार क्रय–विक्रय द्वारा किया जायेगा और इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार उनका पंजीकरण होगा। उन सभी लेखों पर यह कर लागू होगा।

4—नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा के भीतर नियम 2 के अन्तर्गत हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति के कुल मूल्य पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से हस्तान्तरण लेखाकार देय होगा।

5—इस कर का भुगतान अचल सम्पत्ति किसी हस्तान्तरण विलेख इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 द्वारा आरोपित शुल्क के साथ अदा किया जायेगा।

6—स्टाम्प के साथ उक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप इकट्ठा किया गया समस्त धन प्रासंगिक व्यय को काटने के बाद यदि कोई हो, उस निबन्धक द्वारा नियमानुसार नगर पालिका परिषद्, मंगलौर के कोष में जमा कराया जायेगा।

7—धारा 5 के प्रयोजन के लिये इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी जैसा कि यह—

(क) नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा के अन्दर स्थित सम्पत्ति तथा

(ख) नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा के बाहर स्थित सम्पत्ति के विषय में उसमें उल्लिखित विवरणों को अलग किये जाने के लिये विशेष रूप से अपेक्षा करती है।

(ग) इस धारा के प्रयोजन के लिये इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 64 में सरकार को दिये उल्लेख नगर पालिका परिषद्, मंगलौर को भी समाविष्ट करते हुए समझे जायेंगे।

8—नगर पालिका परिषद्, मंगलौर की सीमा के अन्दर किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय तब तक वैध नहीं माना जायेगा, जब तक उस पर उक्त कर का भुगतान न किया जाये तथा यह स्टाम्प कमी समझी जायेगी।

दण्ड

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड रु0 10,000/— (दस हजार रुपये) तक दिया जा सकता है और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराध जारी रहा है, 2500 रु0 प्रतिदिन होगा।

अख्तरी बेगम,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
मंगलौर, जनपद हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/244—भाग 8—2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।